2023/198

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी यशपाल टाक पुत्र श्री ख्याली राम टाक जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नंबर–2, पी डब्ल्यूडी, कालोनी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, मूल रसीद गुम होने का शपथ पत्र, वारिसान हेतु शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मेरे पिता श्री ख्याली राम टाक पुत्र भगवाना राम टाक जाति कुम्हार निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 09.02.2007 को करवाई गई थी, उनका स्वर्गवास दिनांक 27.11.2010 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान जसराम टाक पुत्र श्री भगवाना राम टाक और भागीरथ टाक पुत्र श्री बीरबल राम टाक ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री मोहनलाल माहर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

9/5/23

जिला पंजीयक महोदय